तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1124/2001/अजमेर सोभागमल सखलेचा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री एस.के. शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–2
श्री के.जी. खत्री, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–5

निर्णय

दिनांक 28.03.2019

अपीलार्थी ने यह अपील धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–11–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, अजमेर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर औघोगिक क्षेत्र एम.टी.सी. विस्तार हेतु ग्राम दौराई के खसरा नम्बर 1466 व 1467 की कुल 6.02.10बीघा किस्म बारानी प्रथम रीको हेतु आरक्षित करने के आदेश दिनांक 6–9–1994 को पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–11–2000 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1124/2001/अजमेर सोभागमल सखलेचा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि जिला कलक्टर ने विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा विवादित आराजी को सिवायचक होना मानते हुए आक्षेपित आदेश से विवादित आराजी को रिको हेतु आरक्षित कर दिया, जो विधिक एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त येाग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी अपीलार्थी के पिता मंगलचन्द ने वर्ष 1961 एवं 1963 में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से पूर्व खातेदारान से क्रय की, जिस पर वे काबिज काश्त है। उनका कथन है कि वर्ष 1979 में रीको द्वारा विवादित आराजी की अवाप्ति हेतु अधिसूचना जारी की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के पिता मंगलचन्द ने माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 275/1980 प्रस्तुत की, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 2-7-1992 से विवादित आराजी के अवाप्ति बाबत् जारी सभी अधिसूचनाऐं अपास्त की गयी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं जिला कलक्टर अजमेर का आदेश दिनांक 6-9-1994 को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-2 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवाय चक दर्ज थी, जिसे जिला कलक्टर द्वारा विधिसम्मत् आदेश से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1124/2001/अजमेर सोभागमल सखलेचा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिको हेतु आरक्षित किया गया। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-5 ने अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस का समर्थन में करते हुए अपील को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर, अजमेर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर औघोगिक क्षेत्र एम.टी.सी. विस्तार हेतु ग्राम दौराई के खसरा नम्बर 1466 व 1467 की कुल 6.02.10बीघा किस्म बारानी प्रथम रीको हेतु आरक्षित करने के आदेश दिनांक 6-9-1994 को पारित किये। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह भलीभांति स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलार्थी के पिता मंगलचन्द ने पूर्व खातेदारान साबिर हुसैन आदि से पुराना खसरा नम्बर 1432 की आराजी दिनांक 15-3-1961 एवं पुराने खसरा नम्बर 1433 की आराजी दिनांक 26-7-1963 को जरिये रजिस्टर विक्रयपत्र क्रय की। मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 1432 व 1433 के नवीन खसरा नम्बर 1466 वं 1467 कायम किये गये। वर्ष 1979 में रीको द्वारा विवादित आराजी की अवाप्ति हेतु अधिसूचना जारी की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1124/2001/अजमेर सोभागमल सखलेचा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पिता मंगलचन्द ने माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 275/19809 प्रस्तुत की, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 2-7-1992 से विवादित आराजी के अवाप्ति बाबत् जारी सभी अधिसूचनाऐं अपास्त की गयी। उक्त से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 1466 व 1467 अपीलार्थी के पिता मंगलचन्द की खरीदशुद्धा भूमि है तथा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर क्रेता अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय मंगलचन्द का नाम राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जिसे जिला कलक्टर ने सिवायचक भूमि होना मानकर एवं विवादित आराजी के खातेदार स्वर्गीय मंगलचन्द के वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा राजस्व अभिलेख का गम्भीरता से अवलोकन किये बिना रिको हेतु आरक्षित करने का आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है कि विवादित आराजी अपीलार्थी के पूर्वज की खरीदशुद्धा भूमि है, जिस पर अपीलार्थी काबिज है, जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी से भी होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विवादित आराजी के रीको हेतु आरक्षित करने का बाबत् जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 6-9-1994 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय 27-11-2000 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2000 एवं जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 6-9-1994 निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी मृतक मंगलचन्द के वारिसान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1124/2001/अजमेर सोभागमल सखलेचा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	